

आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक-27.05.2026 को 04:00 बजे अपराह्न में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

उपस्थित :-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया | - | अध्यक्ष |
| 2. अपर समाहर्ता, पूर्णिया | - | सदस्य |
| 3. संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया | - | सदस्य सचिव |

कार्यावली सं0-01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक-22.04.2026 के कार्यवाही के अनुपालन पर विचार :-

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-02

प्राधिकार की बैठक दिनांक -22.04.2026 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :-

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल-09 प्राधिकरण-पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-03

प्राधिकार की बैठक दिनांक-22.04.2026 के बाद निर्गत पीक अप भान / ट्रक के स्थाई परमिट / अस्थायी परमिट का ब्यौरा :-

(क) ट्रक / पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-04

प्राधिकार की बैठक दिनांक -22.04.2026 के बाद बस / मिनी बस / सिटी राईड आदि के निर्गत अस्थाई / विशेष परमिट का

ब्यौरा :-

बस / मिनी बस / सिटी राईड के कुल-321 (दिनांक 26.05.2026 तक) विशेष परमिट निर्गत किए गए हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-05.

प्राधिकार की बैठक दिनांक-22.04.2026 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के स्थाई परमिट की स्वीकृति पर विचार-दिनांक-21.05.2026 तक बस/मिनी बस के कुल-19 स्थायी परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गया:-

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/ वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1	मो0 जावेद आलम	BR11PA-6959 (बस) 01-07-2017 Cap-37	दिघलबैंक से किशनगंज कुल खेप-04 कुल दूरी-400	03-07-2027 29-06-2026 05-04-2027 04-06-2026	परमिट सं0-BR2025-SC-0829A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-26.03.2030 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन स्वामी को एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। जिसे कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर आपत्ति की मांग की जायेगी तथा उक्त पर निर्णय हेतु प्राधिकार के आगामी में रखा जाएगा।
2	मो0 सफात आलम	BR11PA-6958 (बस) 01-07-2017 Cap-37	दिघलबैंक से किशनगंज कुल खेप-03 कुल दूरी-300	18-08-2026 29-06-2026 14-08-2026 14-08-2026	(आपत्ति अप्राप्त।)	स्वीकृत।
3	इस्तयाक आलम	BR11PD-1747 (बस) 06-01-2025 Cap-41	किशनगंज से अररिया जीरो माईल कुल खेप-03 कुल दूरी-372	05-01-2027 02-07-2026 02-01-2027 11-01-2027	परमिट सं0-BR2026-SC-0454A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-09.03.2031 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
4	इस्तयाक आलम	BR11PD-1749 (बस) 06-01-2025 Cap-41	पूर्णिया से किशनगंज कुल खेप-02 कुल दूरी-480	05-01-2027 02-07-2026 02-01-2027 09-03-2027	परमिट सं0-BR2026-SC-0454A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-09.03.2031 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
5	मो0 रिहान नादीर	BR38P-8255 (बस) 01-04-2026 Cap-41	जोगबनी से पूर्णिया कुल खेप-02 कुल दूरी-360	31-03-2028 29-06-2026 30-03-2027 31-03-2027	(आपत्ति अप्राप्त।)	स्वीकृत।
6	उज्जवल कुमार साह	BR11PA-9277 (बस) 18-11-2017 Cap-41	दिघलबैंक से किशनगंज कुल खेप-04 कुल दूरी-400	18-11-2026 17-08-2026 16-11-2026 12-10-2026	(आपत्ति अप्राप्त।)	स्वीकृत।

(Handwritten signature)

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति	निर्णय
7	वकील कुमार यादव	BR10GC-9707 (बस) 13-12-2023 Cap-41	फॉरबिसगंज से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-358	25-03-2028 15-07-2026 15-10-2026 08-12-2026	परमिट सं०-BR2024-SC-1259A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-02.07.2029 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है। वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 05 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 05 वर्ष पूर्ण होने की तिथि-27.09.2029 के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा।
8	शिशु राज	BR11PD-0946 (बस) 28-09-2024 Cap-45	जोगबनी से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-716	27-09-2026 26-06-2026 26-09-2026 06-10-2026	परमिट सं०-BR2025-SC-0464A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-24.02.2030 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
9	श्री राज कुमार प्रसाद	BR11PC-6357 (बस) 21-09-2021 Cap-45	पूर्णिया से गलगलिया कुल खेप-02 कुल दूरी-600	13-11-2027 22-08-2026 21-08-2026 03-06-2026	परमिट सं०-BR2025-SC-2103A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-29.07.2030 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
10	शिशु राज	BR11PB-7945 (बस) 12-07-2019 Cap-42	जोगबनी से भागलपुर कुल खेप-01 कुल दूरी-358	09-10-2027 11-07-2026 17-09-2026 09-12-2026	परमिट सं०-BR2024-SC-3038A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-29.12.2029 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
11	अजय कुमार	BR11PA-4442 (बस) 02-11-2026 Cap-42	अबादपुर से पूर्णिया कुल खेप-02 कुल दूरी-296	01-11-2026 28-07-2026 02-10-2026 29-06-2026	परमिट सं०-BR2025-SC-0824A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-26.03.2030 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	आवेदक द्वारा अबादपुर से कटिहार मोड़ होते हुए पूर्णिया के लिए परमिट हेतु आवेदन दिया है। कटिहार मोड़ बिन्दु पूर्णिया शहर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में आता है, जहाँ स्थानीय प्रवासन की नो इंट्री रहती है। अतः आवेदक को अपने आवेदन में कटिहार मोड़ हटाकर सशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। जिसे कार्यालय सूचना पट्ट पर एक संज्ञाह के लिए प्रकाशित कर आपत्ति की मांग की जाएगी। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति	निर्णय
12	सफात आलम	BR11J-4224 (बस) 07-08-2010 Cap-41	दिघलबैंक से किशनगंज कुल खेप-01 कुल दूरी-100	17-11-2026 12-07-2026 08-05-2027 17-08-2026	(आपत्ति अप्राप्त i)	स्वीकृत।
13	लक्ष्मी देवी	BR11T-6739 (बस) 28-01-2015 Cap-41	पूर्णिया से किशनगंज कुल खेप-01 कुल दूरी-240	26-02-2027 23-07-2026 20-02-2027 19-09-2026	परमिट सं०-BR2026-SC-0193A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-16.01.2031 है। (आपत्ति अप्राप्त i)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरान्त परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि-27.01.2030 के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा।
14	समीर जमशेद	BR10PC-8994 (बस) 04-01-2026 Cap-41	कटिहार से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-360	03-01-2028 24-06-2026 05-04-2027 03-01-2027	(आपत्ति अप्राप्त i)	स्वीकृत।
15	कुणाल कुमार यादव	BR10PB-2305 (बस) 10-08-2018 Cap-42	फलका से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-272	13-09-2026 07-08-2026 24-07-2026 06-09-2026	(आपत्ति अप्राप्त i)	स्वीकृत।
16	स्मिता	BR11PD-6443 (बस) 21-03-2026 Cap-41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-03 कुल दूरी-330	20-03-2028 19-06-2026 03-04-2027 20-03-2027	आवेदक अपने वाहन सं०-BR11PC-9970 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2025-SC-0058A में अंकित समय-सारणी पर नया परमिट लेना चाहते हैं।	वाहन सं०-BR11PD-6443 उच्चतर मॉडल का वाहन है। वाहन स्वामी के आवेदन के आलोक में वाहन सं०-BR11PC-9970 के स्थायी परमिट सं०-BR2025-SC-0058A को प्रत्यापित कर उस पर अंकित समय-सारणी पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।
17	रंजन यादव	BR39PA-6921 (बस) 18-04-2026 Cap-43	कटिहार से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-416	16-04-2028 28-07-2026 28-07-2026 17-04-2027	(आपत्ति अप्राप्त i)	स्वीकृत।

4

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं०/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/ आपत्ति/ अभियुक्ति	निर्णय
18	बासुकी यादव	BR39K-6073 (बस) 01-10-2013 Cap-43	कटिहार से फॉरबिसगंज कुल खेप-01 कुल दूरी-200	27-01-2027 30-06-2026 30-07-2026 22-10-2026	वाहन सं०-BR39K-6073 के वाहन स्वामी अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2021-SC-0944A का नवीकरण करने हेतु आवेदन समर्पित की गई है। उक्त परमिट की वैधता दिनांक-28.04.2026 तक है।	वाहन स्वामी के अनुरोध पर परमिट सं०-BR2021-SC-0944A के नवीकरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि-30.09.2028 के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा।
19	सौरम कुमार यादव	BR11PD-8373 (बस) 08-10-2024 Cap-41	कटिहार से किशनगंज कुल खेप-01 कुल दूरी-284	07-10-2026 03-06-2026 10-05-2027 08-05-2027	वाहन सं०-BR11IRA-9439 के वाहन स्वामी श्री लक्ष्मी देवी द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2026-SC-0192A से किशनगंज प्रस्थान-13:37 पर आपत्ति दिया गया है जबकि आवेदक का किशनगंज प्रस्थान-13:33 है।	दिनांक-06.01.2026 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली सं०-5(घ) (3) (iii) में 06-09 वाहन परिव्यालित वाले मार्ग के प्रारंभिक बिन्दु पर प्रस्थान समय से पहले न्यूनतम 15 मिनट का तथा बाद में न्यूनतम 07 मिनट का समय अंतराल रखने का प्रावधान है। उक्त मार्ग पर वर्तमान में 08 वाहन का परमिट निर्गत है। अतः आवेदक को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के नियमानुसार संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है जिसका प्रकाशन एक सप्ताह हेतु कार्यालय सूचना पट्ट पर किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।

कार्यावली सं०-05.(क)

बिहार मोटरयान नियमावली, 1992 के नियम-101 के तहत प्राप्त एंजेन्ट अनुज्ञप्ति आवेदन का व्यौरा-

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पता	आधार संख्या	शुल्क/चलान तिथि	चरित्र प्रमाण-पत्र	अभ्युक्ति	निर्णय
01	गौतम कुमार घोष पिता-स्व० कैलाश घोष ग्राम-बरमसिया थाना-कटिहार, जिला-कटिहार।	356996997286	4450/ 03.02.2026	पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण सं०-BCHC/2026/76268, दिनांक-27.01.2026.	कटिहार बस स्टेण्ड, जिला-कटिहार हेतु।	स्वीकृत।
02	फरहाना खातून पति-सदाम हुसैन ग्राम-पलासी, मोहनिया, थाना-पलासी, जिला-अररिया।	807954449489	4450/ 25.05.2026	पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण सं०-BRCCO/2026/5986255, दिनांक-11.05.2026.	पलासी बस स्टेण्ड, जिला-अररिया हेतु।	स्वीकृत।

२

कार्यावली सं0-06..

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 22.04.2026 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-

- (क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के कुल-24 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक/पी मान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

इसके अतिरिक्त वाहनों के स्थाई परमिट पर विचार करते हुए प्राधिकार बोर्ड की बैठक में वाहन स्वामियों के लिए निम्नांकित शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करने पर निर्णय लिया गया :-


- i. वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से किया जाना है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीट बस में अवश्य होनी चाहिए।
- ii वाहनों में अग्नि शमन प्रणाली की व्यवस्था, आपातकालीन खिड़की/दरवाजा एवं प्राथमिक उपचार हेतु फस्ट एड की व्यवस्था अवश्य रूप से रहनी चाहिए।
- iii वाहनों में ज्वलनशील पदार्थों/वस्तुओं का वहन नहीं किया जाना है।
- iv सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों के अधीन वाहनों में परावर्ती टेप (Reflective Tape) लगाना अनिवार्य है।
- v वाहन में ड्राईवर का नाम/पता/मोबाईल नं0 चालक के बगल वाले दरवाजे पर लिखित रूप में होनी चाहिए।
- vi यान का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा। मार्ग की जानकारी वाहन के दरवाजे पर हिन्दी के साथ-साथ उर्दू में भी अवश्य रूप से लिखित होनी चाहिए।
- vii सवारी मोटर का प्रचालन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा।
- viii क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित सवारीमोटर की समय-सारणी की प्रतियाँ यानों पर तथा मार्ग पर या उस क्षेत्र के विनिर्दिष्ट अड्डों और विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जाएगी।
- ix नगर पालिकाओं की सीमाओं के अंदर तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के अंदर, जो विहित किये स्थान, यात्री या माल विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाय और कहीं चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा।
- x यानों के आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाये रखे जाएंगे।
- xi अनुमोदित यात्री किराया सारणी के अनुसार ही किराए लिये जायेंगे।


१


- xii क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित यात्री किराया सारणी की एक प्रति या उसकी उद्धरण तथा विशिष्ट अवसरों के लिए ऐसे अनुमोदित कोई विशेष यात्री किरायों या यात्री किराया दरों की विशिष्टियाँ सवारीमोटर पर तथा विनिर्दिष्ट अड्डों तथा विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जायेगी।
- xiii यात्रियों को विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली टिकटें दी जायेगी तथा उनमें वह यात्री किराया दिखाया हुआ होगा, जो वास्तव में लिया गया है और दी गई टिकटों का अभिलेख विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा।
- xiv क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अनुमोदन के बिना परमिट के शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
- xv क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कम से कम एक माह की सूचना देने के पश्चात् परमिट के शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा तथा परमिट पर अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा।
- xvi महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अशिष्ट भाषा, किसी धर्म/समुदाय विशेष को आहत करने वाले गाने एवं विडियों का प्रदर्शन/चालन बसों में नहीं किया जाएगा।
- xvii व्यवसायिक समानों का लदान बसों पर नहीं किया जाएगा।
- xviii कोई भी बस मालिक वैद्य एजेन्ट लाईसेंस प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में बहाल नहीं करेंगे।
- xix प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी होगी।
- xx प्रत्येक वाहन स्वामी बस/मिनी बस के दरवाजे पर प्राधिकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत भाड़े की दर को निश्चित रूप प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
- xxi सभी वाहन स्वामी वाहन के बॉडी के दायी एवं बायी तरफ बड़े एवं गहरे अक्षरों में पीली सतज पर काले रंग से परमिट संख्या एवं वैधता तिथि का स्पष्ट अंकण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- xxii निर्दिष्ट नाम, वाहन सं०, समय सारणी आदि में यदि त्रुटि परिलक्षित होती है, तो कार्यालय में संधारित संचिका में दर्ज अभिलेख सही मानी जायेगी।
- xxiii किसी वाहन स्वामी द्वारा गति सीमा का उल्लंघन कर प्रस्तुत समय-सारणी आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राधिकार बोर्ड से स्वीकृति के उपरांत निर्गत होने के पश्चात भी कार्यालय को कोई आपत्ति प्राप्त होने पर आवेदक को विहित शुल्क के साथ संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करना होगा।


सभी स्वीकृत स्थायी परमिट वाहन स्वामी को आदेश दिया जाता है कि पूर्व से निर्गत परमिट प्रत्यापित करते हुए अपना स्वीकृत परमिट अद्यतन मान्य कागजातों, वाहन के आगे पिछे भाग के फोटों एवं शपथ पत्र के साथ एक माह के अंदर वाछित अधिभार एवं प्रक्रिया शुल्क जमा कर आगामी बैठक से पूर्व निर्गत करवा ले। अन्यथा अगली बैठक में इसे रद्द किया जाएगा।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।


(रवि राकेश)
अपर समाहर्ता, पूर्णिया
-सह-सदस्य,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।



(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।


(दिनेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।

ज्ञापांक 679

दिनांक 30-05-2026

- प्रतिलिपि:- 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- 02. अपर समाहर्ता-सह-सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- 03. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।